स्नेह का अधिकार

drishtiias.com/hindi/printpdf/right-to-affection

मेन्स के लिये:

स्नेह का अधिकार, बच्चे की कस्टडी से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने निर्णय में कहा है कि **एक बच्चे को अपने माता-पिता दोनों का स्नेह पाने का अधिकार है (A Child has The Right to Affection of Both Parents)**।

प्रमुख बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा अपने बच्चे की कस्टडी (Custody) के लिये दायर याचिका पर आधारित है, जो पत्नी के साथ है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अलग हो चुके माता-पिता (Separated Parents) के बीच बच्चे की कस्टडी के संदर्भ में **बच्चे के हितों को सबसे आगे रखा जाना चाहिये**।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पारिवारिक अदालतों को माता-पिता को **मुलाकात का अधिकार (Visitation Rights)** इस प्रकार से देना चाहिये कि **कोई बच्चा माता-पिता के प्यार और देखभाल से वंचित न रहे**।
- **माता-पिता द्वारा बच्चे को प्यार करना** तथा **बच्चे को प्यार पाने का अधिकार** दोनों ही **मौलिक अधिकारों में अंतर्निहित** हैं।

बच्चे की कस्टडी से संबंधित मुद्दे:

- कानूनी प्रावधानों के तहत **अलगाव के मामले में माता-पिता में से किसी एक को बच्चे की कस्टडी सौंपी** जाती है, जिससे **बच्चे का व्यक्तिगत विकास** एवं उसके **गुणवत्तापूर्ण जीवन का अधिकार** गंभीर रूप से प्रभावित होता है।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न पारिवारिक कानूनों में ऐसे कई प्रावधान हैं जो माता-पिता के कस्टडी अधिकारों पर उनके **लिंग के आधार पर भेदभाव** करते हैं।
- इस प्रकार यह उस **पति या पत्नी के अधिकार** को प्रभावित करता है जिस कस्टडी के अधिकारों से वंचित किया गया है।
- यह **बच्चे के मौलिक अधिकारों** का भी उल्लंघन करता है जिसके कारण वह माता-पिता दोनों की देखभाल, प्यार तथा साझा पालन-पोषण से वंचित रह जाता है।
- वर्तमान पारिवारिक कानूनों में **बाल-केंद्रित दृष्टिकोण का अभाव** है जिससे **साझा पालन-पोषण का विचार** नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, इसके परिणामतः बच्चे की परवरिश प्रभावित होती है।

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन पारिवारिक कानूनों के प्रावधानों की जाँच करने पर सहमति व्यक्त की है जो **वैवाहिक अलगाव के बाद माता-पिता में से किसी एक को कस्टडी की अनुमति** देते हैं।

स्रोत: द हिंदू